ए. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद

वी.

मिनोशा इंडिया लिमिटेड

(2022 की सिविल अपील संख्या 3470)

27 अप्रैल, 2022

[के. एम. जोसेफ और हृषिकेश रॉय, जे. जे.]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016-मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996-सीमा अधिनियम, 1963-सीमा अवधि-दिवाला-मध्यस्थ की नियुक्ति-स्थगन अवधि के दौरान सीमा को रोक देना-अपीलकर्ता (एन. डी. एम. सी.) ने प्रत्यर्थी (एम. आई. एल.) के साथ एक खरीद आदेश दिया-वर्तमान समझौते के अनुसार प्रत्यर्थी की ओर से अपने दायित्व का पालन करने में विफलता के कारण, एन. डी. एम. सी. ने समझौते को समाप्त कर दिया-7 जून, 2016 को, प्रत्यर्थी (एम. आई. एल.) ने ए. एंड सी. अधिनियम, 1996 के तहत प्रदान किए गए प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने के लिए नोटिस जारी किया-मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होने से पहले, प्रत्यर्थी के खिलाफ दिवालियापन कार्यवाही शुरू हुई।11(6) 1996 के अधिनियम के अनुसार-मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा 14 दिसंबर, 2020 को अनुमति दी गई थी-अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष सीमा के मुद्दे पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी-उच्चतम न्यायालय के समक्ष, अपीलकर्ता (एन. डी. एम. सी.) ने तर्क दिया कि मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने का नोटिस 7 जून, 2016 को दिया गया था और मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन उस तारीख से 3 साल की अवधि के भीतर दायर किया जाना है जिस दिन मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने का नोटिस शुरू हुआ था-मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन प्रत्यर्थी द्वारा 28 नवंबर, 2019 को किया गया था, जो तीन साल की अवधि से परे है-साथ ही, प्रतिवादी धारा 60 (6) के तहत लगाए गए अधिस्थगन से संरक्षित नहीं है।एक आवेदन

जी.

एच.

धारा 7,9 या 10 के तहत, एक ऐसी अवधि आती है जिसका उद्देश्य यदि संभव हो तो एक निगमित देनदार को जीवन में वापस लाना है, प्रत्यर्थी के शब्दों में 'शांति की अवधि'-लेकिन यह एक ऐसी अवधि है जिसके दौरान निगमित देनदार का प्रबंधन विस्थापित हो जाता है, विडंबना यह है कि उथल-पुथल की अवधि-हालांकि यह सच हो सकता है कि निगमित देनदार द्वारा समाधान पेशेवर के माध्यम से कार्यवाही पर विचार किया जाता है, यह विचार करना असंभव नहीं है कि समाधान पेशेवर किसी भी कारण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है और सभी मामलों में कार्यवाही का संचालन करता है जैसा कि उसे करना चाहिए-यह कानून देने वाले के लिए तर्क हो सकता है, जिसमें निगमित देनदार के कहने पर मुकदमों या आवेदनों के संबंध में सीमा की अवधि को छोड़कर।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः1. विधियों की व्याख्या के सिद्धांतों को अलग-अलग संदर्भों में लागू किया गया है और इन्हें मामले के तथ्यों, कानून की प्रकृति और कई सिद्धांतों के आधार पर लागू किया जाना है।निस्संदेह, व्याख्या का सुनहरा नियम वह व्याख्या है जो शब्दों के सामान्य अर्थ पर पनपती है जैसा कि उनका उपयोग किया जाता है।विधियों की शाब्दिक व्याख्या का यह सिद्धांत समय के साथ वास्तव में एक ऐसी व्याख्या के रूप में सामने आया है जो उद्देश्यपूर्ण है या जो कानून देने वाले के उद्देश्य को समायोजित करने का प्रयास करता है।यह कहने के लिए पर्याप्त है कि यदि किसी क़ानून के शब्द अस्पष्ट नहीं हैं, तो व्याख्या का दायरा कम हो जाता है। कानून को फिर से लिखना न्यायालय का काम नहीं है।ऐसे अवसर भी हो सकते हैं जब न्यायालय विधायिका के इरादे को प्रभावी बनाने और प्रभावी बनाने के माध्यम से कानून को पूरा अर्थ देने के लिए किसी शब्द को छोड़ने या कुछ भाग को प्रभावी नहीं करने की सीमा तक जा सकता है।[पैरा 19] [1087-एफ-एच; 1088-ए-बी]

2. इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक अन्य सिद्धांत, जिसने इस संबंध में न्यायालय की मंजूरी के लिए उचित रूप से प्रतिस्पर्धा की है, वह यह है कि एक व्याख्या जो कानून के उद्देश्य और उद्देश्य को आगे बढ़ाती है, उसे न्यायालय के साथ सबसे अधिक तोलना चाहिए।[पैरा 21] [1088-जी]

एच.

3. धारा 17 के तहत, निगमित देनदार के मामलों का प्रबंधन अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा लिया जाता है।निदेशक मंडल या निगमित देनदार के भागीदारों की शक्तियां निलंबित हो जाएंगी और इसका प्रयोग अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा किया जाएगा। जब प्राधिकरण अंतरिम समाधान पेशेवर से समाधान पेशेवर में हाथ बदलता है, तो पिछले प्रबंधन को बाहर रखा जाता है। लेनदारों की समिति अस्तित्व में आती है।लेनदारों की समिति की देखरेख में सभी मामलों को आगे बढ़ाया जाता है।समाधान योजनाएं समाधान पेशेवर द्वारा प्राप्त की जाती हैं और समाधान योजना जिसे अंततः लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है और अभी भी न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के हाथों में होती है, जिसके परिणामस्वरूप धारा 31 (3) के तहत अधिस्थगन पर पर्दा डाल दिया जाएगा।इस पूरी अवधि के दौरान, जो उल्लेखनीय है वह यह है कि कानून और रूप में, कॉर्पोरेट देनदार मौजूद है और अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है और उसके बाद समाधान पेशेवर, कॉर्पोरेट देनदार का पूर्व प्रबंधन विस्थापित हो जाता है।जब समाधान योजना को मंजूरी दी जाती है, तो एक नया प्रबंधन कार्यभार संभालता है।सी. आई. आर. पी. के सफल होने पर इन सब पर विचार किया जाता है।निस्संदेह, यदि यह असफल रहता है, तो निगमित देनदार परिसमापन में चला जाता है।इसलिए, एक ओर, धारा 7,9 या 10 के तहत एक आवेदन एक ऐसी अवधि लाता है जिसका उद्देश्य प्रत्यर्थी के शब्दों में, यदि संभव हो तो एक कॉर्पोरेट देनदार को जीवन में वापस लाना है, 'शांति की अवधि'।लेकिन यह एक ऐसी अवधि है जिसके दौरान कॉर्पोरेट देनदार का प्रबंधन विस्थापित हो जाता है, विडंबना यह है कि यह उथल-पुथल की अवधि है।हालांकि यह सच हो सकता है कि समाधान पेशेवर के माध्यम से कॉर्पोरेट देनदार द्वारा कार्यवाही पर विचार किया जाता है, लेकिन यह विचार करना असंभव नहीं है कि समाधान पेशेवर किसी भी कारण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है और सभी मामलों में कार्यवाही का संचालन करता है जैसा कि उसे करना चाहिए।हम इस पर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि यह धारा 60 (6) के तहत कॉर्पोरेट देनदार के कहने पर मुकदमों या आवेदनों के संबंध में सीमा की अवधि को छोड़कर कानून देने वाले के लिए तर्क हो सकता है।[पैरा 24] [1091-ए-एफ] ए

जी.

एच.

4. जहाँ तक धारा 60 (6) के अर्थ को समझने का संबंध है, इसमें जरा भी संदेह नहीं हो सकता है कि कॉर्पोरेट देनदार द्वारा लाए गए मुकदमे या आवेदन के मामले में भी अधिस्थगन की अवधि को बाहर रखा गया है।, स्थगन की अवधि के संबंध में।यह सच है कि एक ओर धारा 14 में जो वर्जित है जब एक अधिस्थगन लागू किया जाता है, वह अन्य बातों के साथ-साथ कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ लंबित मुकदमों या कार्यवाही को जारी रखना है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एक मध्यस्थता पैनल की डिक्री या आदेश के निष्पादन में कार्यवाही शामिल है।[पैरा 25] [1091-जी-एच; 1092-ए]

5. हम पहले ही संहिता के उद्देश्य और उस संदर्भ को समझने का कार्य शुरू कर चुके हैं जिसमें धारा 60 (6) को लागू किया गया है।यह न्यायालय संभवतः विधि दाता के विवेक पर निर्णय नहीं दे सकता है।सीमा की अवधि सीमा अधिनियम के तहत प्रदान की गई है। कानून प्रदाता ने विचार किया है कि जब एक स्थगन लागू किया गया है, तो उक्त अवधि को बाहर रखा जाना चाहिए।हम 'कोई भी मुकदमा या आवेदन' शब्दों के प्रयोग को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते।इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह 'एक कॉर्पोरेट देनदार द्वारा' शब्दों से अलग है।जिस तरह से अपीलार्थी क़ानून की व्याख्या करना चाहता है, उसके परिणामस्वरूप हम निगमित देनदार को सीमा की अवधि बढ़ाने के लाभ से इनकार कर देंगे, जिसके परिणामस्वरूप, हम सोचते हैं कि क़ानून में उपयोग किए गए स्पष्ट शब्दों से इसकी पुष्टि नहीं होगी।[पैरा 27] [1093-बी-डी]

6. इस न्यायालय का विचार है कि आई. बी. सी. की धारा 60 (6) उस पूरी अवधि के अपवर्जन पर विचार करती है जिसके दौरान निगमित देनदार के संबंध में निगमित देनदार के हाथों विचार की गई कार्यवाही के संबंध में अधिस्थगन लागू था।[पैरा 28] [1093-ई]

नोहरलाल वर्मा बनाम जिला सहकारी केंद्रीय बैंक
लिमिटेड, जगदलपुर (2008) 14 एससीसी 445:[2008] 14 एससीआर
774; भारतीय रिजर्व बैंक बनाम पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड और अन्य। (1987) 1 एससीसी 424:[1987] 2 एस. सी. आर. 1; सुथेंद्रन बनाम आप्रवासन अपील जी.

न्यायाधिकरण (1976) 3 ऑल इंग्लैंड लॉ रिपोर्ट 611;
हर्भजन सिंह बनाम भारतीय प्रेस परिषद और अन्य।
(2002) 3 एससीसी 722:[2002] 2 एस. सी. आर. 369; नया भारत

एच.

आश्वासन कंपनी लिमिटेड बनाम।नुस्ली नेविल वाडिया और ओआरएस।
(2008) 3 एससीसी 279:[2007] 13 एससीआर 598:तीरथ सिंह
बनाम बचित्तर सिंह और अन्य ए. आई. आर 1955 एस. सी. 830:[1955]
एस. सी. आर. 457-संदर्भित।

न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह के वैधानिक सिद्धांत
व्याख्या, चौदहवाँ संस्करण, पृष्ठ संख्या 145-संदर्भित।

~~मामला कानून संदर्भ~~

[2008] 14 एससीआर 774	संदर्भित किया गया है	पैरा 4
[1987] 2 एससीआर 1	संदर्भित किया गया है	पैरा 6
[2002] 2 एससीआर 369	संदर्भित किया गया है	पैरा 20
[2007] 13 एससीआर 598	संदर्भित किया गया है	पैरा 21
[1955] एससीआर 457	संदर्भित किया गया है	पैरा 2

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2022 की सिविल अपील संख्या 3470।

2020 की मध्यस्थता याचिका No.668 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 14.12.2020 के निर्णय और आदेश से।

गौरव बनर्जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, हर्ष पीचारा, योगिंदर हांडू, राकेश तालुकदार, अश्विन कटारिया, गर्वित सोलंकी, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।नीरज किशन कौल, वरिष्ठ अधिवक्ता, महेश अग्रवाल, सुश्री सायरी बसु मुल्लिक, ऋषभ पारिख, रोहन तलवार, दीपक जोशी, राघव अग्रवाल, सुश्री आरजू अनेजा, ई. सी. अग्रवाल, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

के. एम. जोसेफ, जे.

1.अनुमति प्रदान की गई।

जी.

2. इस न्यायालय द्वारा निर्धारण के लिए सबसे प्रमुख प्रश्न दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 60 (6) का प्रभाव है (जिसे इसके बाद संक्षिप्तता के लिए 'आई. बी. सी.' के रूप में संदर्भित किया गया है) और क्या उपरोक्त प्रावधान आई. बी. सी. की धारा 14 के तहत पारित आदेश के आधार पर लगाए गए अधिस्थगन के आधार पर निगमित देनदार के कहने पर किसी कार्यवाही को नए जीवन के पट्टे पर देता है और क्या निगमित देनदार आई. बी. सी. की धारा 14 के तहत पारित आदेश के आधार पर दी गई कार्यवाही को लागू करने के लिए इसका लाभ उठा सकता है।

एच.

इस मामले में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत दायर आवेदन (जिसे इसके बाद '1996 अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है)।3. दिनांक 20.02.2015 के एक समझौते के अनुसार, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के साथ Rs.16,20,00,000 का खरीद आदेश दिया।हालाँकि, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को उसकी कथित निष्क्रियता और आचरण के कारण समाप्ति नोटिस जारी किया जिसे गैर-उत्तरदायी बताया गया है।इसके कारण प्रत्यर्थी ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जो अंततः उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी को सुनवाई का अवसर देने और उसके प्रतिनिधित्व पर विचार करने के निर्देश में समाप्त हुआ।हालाँकि, अपीलार्थी ने दिनांक 17.05.2016 के संचार द्वारा अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया।मध्यस्थता के लिए अनुबंध में प्रावधान को लागू करते हुए, प्रत्यर्थी ने दिनांक 07.06.2016 को संबोधित किया।अपीलार्थी ने अपना जवाब 20.7.2016 पर भेजा, जहाँ उसने अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्यर्थी द्वारा सुझाए गए किसी भी नाम के लिए सहमति नहीं दी और इसके बजाय दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (डी. आई. ए. सी.) के माध्यम से मध्यस्थता के लिए आगे बढ़ने का प्रस्ताव रखा। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. टी.) मुंबई ने आई. बी. सी. की धारा 10 के तहत एक आवेदन स्वीकार किया और स्थगन की घोषणा की।28.11.2019 पर, NCLT द्वारा एक समाधान योजना को मंजूरी दी गई थी। 25.11.2020 पर, प्रत्यर्थी ने 1996 के अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत एक आवेदन दायर किया। दिनांक 14.12.2020 के विवादित आदेश द्वारा, दिल्ली उच्च न्यायालय ने धारा 11 (6) के तहत दायर आवेदन को अनुमति दी है और उच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश को मध्यस्थ नियुक्त किया है।इस संबंध में विवादित आदेश के कुछ हिस्सों पर ध्यान देना इस बिंदु पर ही उचित हैः

> “6. विद्वान अधिवक्ता ों का यह भी मानना है कि 1996 के अधिनियम की धारा 12 (5) को सातवीं अनुसूची के साथ पढ़ने के लिए, खरीद आदेश और समझौते से पूर्व-निकाले गए खंडों द्वारा विचारित मध्यस्थ तंत्र को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि एन. डी. एम. सी. के अध्यक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति करने से अक्षम होंगे।इस स्थिति को कई निर्णयों में स्पष्ट किया गया है, जिसमें निर्णय भी शामिल हैं

सुप्रीम कोर्ट ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड बनाम.यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड (2019) 5 एस. सी. सी. 755 और पर्किन्स ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डी. पी. सी. बनाम आई. आई. एस. सी. सी. (इंडिया) लिमिटेड आकाशवाणी

2020 एस. सी. 59, और प्रोद्दातुर केबल टीवी में इस न्यायालय का
डी. आई. जी. आई. सर्विसेज बनाम एस. आई. टी. आई. केबल नेटवर्क लिमिटेड एम. ए. एन. यू./डी. ई./0178/2020।

एच.

7. याचिकाकर्ता ने 7 जून, 2016 को प्रत्यर्थी को पत्र लिखकर विवाद पर मध्यस्थता करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ के रूप में इस न्यायालय के दो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के नाम सुझाए।

8. हालाँकि, प्रत्यर्थी ने 20 जुलाई, 2016 को अपने जवाब के माध्यम से सुझाव दिया कि मामले को मध्यस्थता के लिए दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (डी. आई. ए. सी.) को भेजा जा सकता है।

9. आज, मेरे सामने, विद्वान अधिवक्ता न्यायालय से एक स्वतंत्र मध्यस्थ नियुक्त करने का अनुरोध करते हैं, जो डी. आई. ए. सी. के तत्वावधान में और उस संबंध में साबित प्रक्रिया के अनुसार मध्यस्थता का संचालन करेगा।

10. विद्वान अधिवक्ता 1996 के अधिनियम की चौथी अनुसूची के अनुसार विद्वान एकमात्र मध्यस्थ की फीस का भुगतान करने के लिए भी सहमत हैं।

इसे ध्यान में रखते हुए मध्यस्थ की नियुक्ति की गई थी
बनाया गया।

4. हमने अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गौरव बनर्जी और प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एन. के. कौल को सुना है।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गौरव बनर्जी तर्क देंगे कि सीमा से संबंधित याचिका होने के नाते और सीमा का पहलू अधिकार क्षेत्र से संबंधित होने के कारण केवल यह तथ्य कि उच्च न्यायालय में अपीलार्थी के वकील ने मध्यस्थ की नियुक्ति के आदेश के लिए सहमति दी है, अपीलार्थी के रास्ते में यह इंगित नहीं करेगा कि धारा 11 (6) के तहत आवेदन स्पष्ट रूप से समय से परे था।इस संबंध में, सीमा अधिनियम, 1963 (इसके बाद '1963 अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 3 का उपयोग किया जाता है।यह इंगित किया जाता है कि इस बात की परवाह किए बिना कि पक्षकारों ने सीमा का मामला स्थापित किया है, यह न्यायालय का बाध्य कर्तव्य है कि वह मुकदमे या आवेदन या कार्यवाही को खारिज करे जो सीमा द्वारा वर्जित है।इस संबंध में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने भी इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया

जी. नोहरलाल वर्मा बनाम जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड,
जगदलपुर (2008) 14 एससीसी 445:“32. अब, सीमा मामले की जड़ तक जाती है।यदि किसी वाद, अपील या आवेदन को सीमा द्वारा वर्जित किया जाता है, तो किसी न्यायालय या न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के पास कोई अधिकार क्षेत्र, शक्ति या प्राधिकरण नहीं होता है।

एच.

ऐसे वाद, अपील या आवेदन पर विचार करना और गुण-दोष के आधार पर इसका निर्णय करना।

33. सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उप-धारा (1) निम्नानुसार हैः

> "3. बार ऑफ लिमिटेशन।—(1) धारा 4 से 24 (समावेशी) में निहित प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक मुकदमा दायर किया जाता है, अपील को प्राथमिकता दी जाती है और उसके बाद आवेदन किया जाता है।
>
> निर्धारित अवधि को खारिज कर दिया जाएगा, हालांकि बचाव के रूप में सीमा निर्धारित नहीं की गई है।"

(बल दिया गया)

उपरोक्त प्रावधान को केवल पढ़ने से इस बात में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहती है कि यदि कोई मुकदमा दायर किया जाता है, अपील की जाती है या निर्धारित अवधि के बाद आवेदन किया जाता है, तो इसे खारिज करना पड़ता है, भले ही ऐसी कोई याचिका दायर नहीं की गई हो या बचाव पक्ष स्थापित नहीं किया गया हो।दूसरे शब्दों में, प्रत्यर्थी प्रतिवादी या प्रतिद्वंद्वी द्वारा ऐसी याचिका के अभाव में भी, अदालत या प्राधिकरण को ऐसे मुकदमे, अपील या आवेदन को खारिज करना चाहिए, यदि यह संतुष्ट है कि मुकदमा, अपील या आवेदन सीमा द्वारा वर्जित है।"

5. वह स्पष्ट रूप से आई. बी. सी. की धारा 60 (6) के आधार पर विवाद का अनुमान लगाता है। अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता यह इंगित करेंगे कि प्रत्यर्थी द्वारा आई. बी. सी. की धारा 60 (6) पर कोई निर्भरता रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।वह यह इंगित करेंगे कि धारा 60 (6), निस्संदेह, कई शब्दों में, उस अवधि के बहिष्करण को स्वीकार करती है जिसके दौरान कॉर्पोरेट देनदार द्वारा भी कार्यवाही शुरू करने में स्थगन प्रभावी है।वह इंगित करेंगे कि आई. बी. सी. की योजना के अवलोकन से पता चलेगा कि धारा 7,9 या 10 के तहत एक आवेदन स्वीकार किए जाने पर, अधिस्थगन अस्तित्व में आता है। हालांकि, धारा 14 की सामग्री और इसके परिणाम से पता चलता है कि यह किसी भी तरह से निगमित देनदार को कार्यवाही शुरू करने के खिलाफ निषेध या प्रतिबंध के रूप में कार्य नहीं करता है।दूसरे शब्दों में, निगमित देनदार द्वारा किसी मुकदमे या कार्यवाही के लिए अवधि के बहिष्करण के लिए कोई वारंट नहीं है।इस संबंध में, वह इस तथ्य के आधार पर और सुदृढीकरण चाहते हैं कि आई. बी. सी. विचार करता है कि समाधान पेशेवर 1996 के अधिनियम के तहत कार्यवाही सहित कार्यवाही करने की शक्ति से लैस है। इस संबंध में आई. बी. सी. की धारा 25 के प्रावधानों से समर्थन प्राप्त करने की मांग की गई है। धारा 25 (2) (बी) अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार हैः

जी.

एच.

"25

……..
……..... (2) उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए समाधान पेशेवर निम्नलिखित कार्य करेगा, अर्थात्:—

……..
……..... (बी) तीसरे पक्ष के साथ कॉर्पोरेट देनदार की ओर से प्रतिनिधित्व और कार्य करें, न्यायिक, अर्ध-न्यायिक या मध्यस्थता कार्यवाही में कॉर्पोरेट देनदार के लाभ के लिए अधिकारों का प्रयोग करें;

……..
……..... इसलिए, वह तर्क देंगे कि जब न केवल निगमित देनदार के खिलाफ किसी भी कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए कोई स्पष्ट प्रतिबंध है, बल्कि कानून, वास्तव में, प्रस्ताव पेशेवर को कार्यवाही शुरू करने और स्थगन के दौरान न्यायिक, अर्ध-न्यायिक या मध्यस्थता कार्यवाही में निगमित देनदार का प्रतिनिधित्व करने और उसकी ओर से कार्य करने पर विचार करता है, तो धारा 11 (6) के तहत वर्तमान आवेदन जो स्वीकार्य रूप से वर्जित है, लेकिन धारा 60 (6) के तहत समय को बाहर करने के लिए समय वर्जित माना जाता है।इस संबंध में, वह न्यायालय की सराहना करेंगे कि न्यायालय व्याख्या के उन सिद्धांतों को लागू कर सकता है जिन्होंने विशेष रूप से हाल ही में अपनी सराहना की है।, एक व्याख्या, जो कानून के उद्देश्य और उद्देश्य को आगे बढ़ाती है।कानून के शाब्दिक अर्थ के केवल पालन से बचा जाना चाहिए, विशेष रूप से आई. बी. सी. के प्रावधान के संदर्भ में हानिकारक परिणामों को ध्यान में रखते हुए, जो यह अपीलार्थी जैसे तीसरे पक्ष पर उत्पन्न करेगा।दूसरे शब्दों में, जब इस मामले के तथ्यों में धारा 11 (6) के तहत आवेदन करने की सीमा की अवधि के दौरान निगमित देनदार पर कोई बाधा नहीं थी, और अवधि किसी भी दर पर प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के दिनांकित उत्तर के आधार पर समाप्त हो जाएगी, तो धारा 60 (6) प्रत्यर्थी की सहायता नहीं करेगी।

जी.

6. वह प्रस्तुत करेगा कि यह न्यायालय इस ए के फैसले में निहित पहले के अवसर पर इस न्यायालय की चेतावनी को ध्यान में रख सकता है।

एच.

न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक बनाम पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड और अन्य 1:

> “33. व्याख्या पाठ और संदर्भ पर निर्भर होनी चाहिए।वे व्याख्या के आधार हैं।यह अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि यदि पाठ बनावट है, तो संदर्भ वह है जो रंग देता है।इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं।वह व्याख्या सबसे अच्छी है जो पाठ्य व्याख्या को प्रासंगिक से मेल खाती है।एक क़ानून की सबसे अच्छी व्याख्या तब की जाती है जब हम जानते हैं कि इसे क्यों लागू किया गया था।इस ज्ञान के साथ, क़ानून को पहले समग्र रूप से और फिर खंड दर खंड, खंड दर खंड, वाक्यांश दर वाक्यांश और शब्द दर शब्द पढ़ा जाना चाहिए।यदि किसी क़ानून को उसके अधिनियमन के संदर्भ में, ऐसे संदर्भ द्वारा प्रदान किए गए क़ानून निर्माता के चश्मे के साथ देखा जाता है, तो उसकी योजना, धाराएं, खंड, वाक्यांश और शब्द रंग ले सकते हैं और संदर्भ द्वारा प्रदान किए गए चश्मे के बिना क़ानून को देखने की तुलना में अलग दिखाई दे सकते हैं।इन चश्मे के साथ हमें अधिनियम को समग्र रूप से देखना चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि प्रत्येक धारा, प्रत्येक खंड, प्रत्येक वाक्यांश और प्रत्येक शब्द का क्या अर्थ है और यह कहने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि यह पूरे अधिनियम की योजना में फिट बैठता है। कानून के किसी भी हिस्से और कानून के किसी भी शब्द को अलग से नहीं समझा जा सकता है।क़ानूनों का अर्थ इस तरह से निकाला जाना चाहिए कि हर शब्द का एक स्थान हो और सब कुछ अपने स्थान पर हो।यह पूरे अधिनियम की स्थापना में समग्र रूप से परिभाषा को देखकर और अधिनियम से पहले क्या था और इसके कारणों के संदर्भ में है कि अदालत ने श्रीनिवास [(1980) 4 एस. सी. सी. 507 में "पुरस्कार चिट" अभिव्यक्ति का अर्थ निकालाः(1981) 1 एससीआर 801:51 कॉम कैस 464] और हमें न्यायालय के निर्माण से अलग होने का कोई कारण नहीं मिलता है।”

7. इस संबंध में, वह यह इंगित करेंगे कि न्यायालय इस बात पर विचार कर सकता है कि ऐसे मुकदमे हो सकते हैं जिन्हें स्थगन की अवधि के दौरान एक कॉर्पोरेट देनदार भी लाने की स्थिति में नहीं हो सकता है।वह इंटरप्लीडर सूट का एक उदाहरण देते हैं। केवल ऐसे मामलों में ही न्यायालयों को धारा 60 (6) में निगमित देनदार के पक्ष में सीमा की अवधि के अपवर्जन को अर्थ देना चाहिए।वह आगे तर्क देंगे कि धारा 60 (6) के तहत प्रत्यर्थी के मामले की स्वीकृति धारा 60 (6) में वाक्यांश का अनुवाद करेगी, अर्थात।, ‘ जिसके लिए एक आदेश

---

1 (1987) 1 एस. सी. सी. 424

एच.

इस भाग 'ओटियोस' के तहत रोक लगा दी गई है।उक्त वाक्यांश,
दूसरे शब्दों में, बहिष्करण के लाभ को केवल उन मुकदमों तक सीमित करने के लिए नियोजित किया जाता है जो अधिस्थगन के परिणामस्वरूप एक बादल के तहत आते हैं या आते हैं।धारा 11 (6) के तहत वर्तमान आवेदन स्पष्ट रूप से ऐसी कार्यवाही नहीं है।दूसरे शब्दों में, यह उसका मामला है कि

शब्द 'जिनके लिए इस के तहत स्थगन का आदेश दिया गया है
भाग 'जिसे एक वर्णनात्मक भाग के रूप में माना जाना है, ऐसी कार्यवाहियों के मामले का वर्णन करता है जिस पर तीसरा भाग लागू होगा, तीसरा भाग वह अवधि है जिसके दौरान अधिस्थगन लागू है, जिसे बाहर रखा जाएगा।न्यायालय एक व्याख्या कर सकता है जो प्रावधान में प्रत्येक शब्द/वाक्यांश को अर्थ देता है।यदि निगम ऋणी द्वारा या उसके विरुद्ध सभी मुकदमों और आवेदनों पर लागू होने वाले एक व्यापक लाभ पर विधानमंडल द्वारा विचार किया गया था, तो प्रावधान अलग-अलग शब्दों में होगा।वह प्रावधानों को जोड़कर और फिर से लिखकर उदाहरणों के संदर्भ में इसे स्पष्ट करेंगे।धारा 60 (6) का उद्देश्य निगमित देनदार को परिणामी लाभ प्रदान करना है और इसलिए, धारा 60 (6) का दायरा स्वतः अधिस्थगन के दायरे से अधिक व्यापक नहीं होना चाहिए।एक ऐसी व्याख्या जो सीमा द्वारा समर्थित तीसरे पक्ष के प्रतिस्पर्धी सार्वजनिक हित और निगमित देनदार के वित्तीय लाभ को संतुलित करती है, रखी जा सकती है।इस संबंध में, उन्होंने तर्क दिया कि सीमा कानून या बल्कि नीति का उद्देश्य जो इसका आधार है, वह यह है कि लंबे समय से निष्क्रिय दावों को अदालत या अन्य प्राधिकरण में लाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।एक अन्य सिद्धांत जिसे सेवा में लगाया जाता है, वह यह है कि प्रतिवादी या प्रत्यर्थी जैसा भी मामला हो, अपने मामले को मजबूत करने के लिए सामग्री या सबूत खो देता यदि उस पर कोई बासी दावा किया जाता है जिससे उसके लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा होता है।उचित परिश्रम से किए गए कार्यों की जानकारी मिलनी चाहिए।इस मामले में, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार इस पहलू की विशेष प्रासंगिकता है क्योंकि यह मामला वर्ष 2015 से संबंधित है।प्रत्यर्थी सीमा की अवधि के भीतर एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं लाया है जो सामान्य रूप से उपलब्ध है, अपीलार्थी मध्यस्थ के समक्ष अपना मामला स्थापित करने से अक्षम है क्योंकि कई दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं और गवाह उपलब्ध नहीं हो सकते हैं क्योंकि अपीलार्थी के कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं।यह सब अपीलार्थी पर काफी प्रतिकूल परिणाम उत्पन्न करेगा।इनमें से कोई भी कानून देने वाले के विचार में नहीं था और प्रतिवादी के मामले की स्वीकृति में उन लोगों को स्वतंत्र रूप से भाग लेना शामिल होगा जो अपने अधिकारों पर सोते हैं और सीमा की अवधि से परे विलंबित दावा करते हैं।

जी.

एच.

8. इस संबंध में यह भी बताया गया है कि एक समाधान योजना है जिसे मंजूरी दी गई है और इसका प्रभाव देखा जा सकता है। प्रत्यर्थी का मामला, यह बताया गया है, यहां तक कि प्रत्यर्थी के अनुसार, यह है कि प्रत्यर्थी को उन फाइलों को देखने में देर हुई जब आवेदन दायर किया जाना था।यह सब तब समझ से परे है जब निगमित देनदार अधिस्थगन की अवधि के दौरान जारी रहा, यानी निगमित निकाय जारी रहा और यह समाधान पेशेवर के प्रबंधन के तहत था जिसे धारा 11 (6) के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आगे बढ़ने का अधिकार दिया गया था, यहां तक कि अधिस्थगन के दौरान भी।इस तथ्य के कारण कि प्रबंधन को अपने हाथ में ले लिया गया है, कॉर्पोरेट निकाय गायब नहीं होता है।इसलिए पूरे समय, एक निगमित निकाय है और कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो धारा 11 (6) के तहत आवेदन दायर करने के रास्ते में खड़ा हो।स्थगन का निश्चित रूप से विलंबित प्रक्षेपण से कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि यह धारा 11 (6) के तहत कार्यवाही शुरू करने पर रोक नहीं लगाता है।इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि न्यायालय आईबीसी की धारा 60 (6) के आधार पर मामले को स्वीकार नहीं कर सकता है।

9. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एन. के. कौल अपील का कड़ा विरोध करेंगे।सबसे पहले वह प्रस्तुत करेगा कि अपीलार्थी का आचरण जो एक सार्वजनिक प्राधिकरण है, उसे न्यायालय के समक्ष खुद को प्रस्तुत नहीं करना चाहिए।वह इंगित करेंगे कि दिनांकित 20.07.2016 पत्र में, वास्तव में प्रत्यर्थी का रुख यह था कि वह मध्यस्थता के लिए सहमत था, लेकिन वह चाहता था कि मध्यस्थता डी. आई. ए. सी. के माध्यम से की जाए। इसके बाद, वह विवादित आदेश के निष्कर्ष की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करेंगे, जिसमें लिखा हैः

> “25. कि प्रत्यर्थी ने अपने दिनांकित 20.07.2016 के पत्र के माध्यम से उपरोक्त अधिसूचना दिनांकित 07.06.2016 का जवाब दिया, जिसमें प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता द्वारा सुझाए गए किसी भी नाम के लिए सहमति प्रदान नहीं की और इसके बजाय दिल्ली मध्यस्थता केंद्र के माध्यम से मध्यस्थता के साथ आगे बढ़ने का प्रस्ताव रखा।इस प्रकार, एक स्वतंत्र एकल मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में पक्षों के बीच कोई आपसी समझौता नहीं हुआ है।”

10. अस्वाभाविक रूप से नहीं, वह हमें पैराग्राफ 6 से 10 तक भी ले गया, जिन्हें हम पहले ही स्वीकार कर चुके हैं।बात यहीं खत्म नहीं होती।वह प्रस्तुत करेंगे कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही शुरू की गई थी।19.02.2021, 25.03.2021, 06.07.2021 और मई, 2021 की तारीख को उन तारीखों के रूप में इंगित किया गया है जिन पर कार्यवाही की जाती है।

एच.

मध्यस्थ के समक्ष आयोजित किए गए थे।वह शिकायत करेगा कि अपीलार्थी का आचरण ईमानदारी को प्रतिबिंबित नहीं करता है जैसा कि राज्य से अपेक्षित है।यह आगे बताया गया है कि यह तथ्य कि मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू हो गई थी, इस न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया था जब इस न्यायालय ने मामले में नोटिस जारी किया और एक अंतरिम आदेश पारित किया।

11. वह आगे इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि वास्तव में, विवादित आदेश एक सहमति आदेश है।इसलिए, धारा 60 (6) के दायरे से संबंधित कानून के सवाल पर अदालत के फैसले के बावजूद, अपील को सफल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।जहाँ तक धारा 60 (6) के वास्तविक दायरे का संबंध है, वह प्रस्तुत करेगा कि धारा 14 एक ऐसी अवधि लाती है जिसे वह 'शांत अवधि' के रूप में वर्णित करता है।दूसरे शब्दों में, वह तर्क देंगे कि जब आई. बी. सी. के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.) में स्थगन का आदेश पारित किया जाता है, तो इसका उद्देश्य एक ऐसी अवधि लाना है जिसके दौरान कॉर्पोरेट निकाय का पुनरुत्थान या पुनरुद्धार का प्रयास किया जाता है।धारा 14 के तहत विचार की गई अन्य कार्यवाहियों के संबंध में एक विराम रखा गया है।वह तर्क देंगे कि चाहे यह एक शाब्दिक व्याख्या हो जो यह न्यायालय रख सकता है या एक प्रासंगिक व्याख्या, परिणाम अपरिहार्य है कि स्थगन की अवधि को बाहर रखा जाएगा, यहां तक कि जहां तक एक कॉर्पोरेट देनदार द्वारा मुकदमे या आवेदन का संबंध है।जहाँ तक शाब्दिक व्याख्या की बात है, कानून देने वाले ने कल्पना के लिए कुछ नहीं छोड़ा है और अपीलार्थी के मामले में कोई योग्यता नहीं होगी।जहां तक संहिता के उद्देश्य का संबंध है, संसद ने विचार किया कि एक बीमार कॉर्पोरेट ऋणी को जीवन में वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। आई. बी. सी. की धारा 25 (2) (बी) पर आधारित तर्क को यह बताते हुए पूरा करने का प्रयास किया जाता है कि हालांकि यह समाधान पेशेवर को 1996 के अधिनियम के तहत कार्यवाही सहित कार्यवाही में कंपनी का प्रतिनिधित्व करने की शक्ति देता है और इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि समाधान पेशेवर धारा 11 (6) के तहत कदम उठा सकता था, जो जांच का अंत नहीं होना चाहिए।इस प्रश्न का उत्तर धारा 60 (6) में उपयोग किए गए स्पष्ट शब्दों के संदर्भ में दिया जाना चाहिए और यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि एक बार स्थगन लागू होने के बाद वास्तव में क्या होता है और कॉर्पोरेट देनदार सी. आई. आर. पी. से गुजरता है।

जी.

12. प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता भी अपने समर्थन में, दिवाला और दिवालियापन संहिता 2015 की संयुक्त समिति की रिपोर्ट को सूचीबद्ध करता है, जो इस प्रकार हैः

> “29. ~~निगमित व्यक्तियों के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण-खंड 60 और~~ 79 (14 (ई)

एच.

एफ. आई. सी. सी. आई. ने समिति को सौंपे गए ज्ञापन में यह विचार रखा था कि सीमा अवधि की गणना से स्थगन अवधि का बहिष्कार केवल कॉर्पोरेट देनदार के नाम या उसकी ओर से मुकदमे या आवेदन के संदर्भ में लागू होता है।यह स्पष्ट नहीं है क्योंकि इस तरह का बहिष्कार लेनदारों द्वारा कंपनी के खिलाफ मुकदमों के संबंध में भी लागू होता है जो अधिस्थगन प्रावधानों के तहत रोक के अधीन भी हैं।इसलिए, यह सुझाव दिया गया था कि विधेयक के खंड 60 (6) के तहत "कॉर्पोरेट देनदार" शब्दों के बाद "या कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ" शब्द जोड़े जा सकते हैं।

-

समिति फिक्की के सुझाव से सहमत होते हुए निर्णय लेती है कि खंड 60 (6) को निम्नानुसार संशोधित किया जा सकता हैः-

> “सीमा अधिनियम, 1963 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी निगमित ऋणी द्वारा या उसके विरुद्ध किसी वाद या आवेदन के लिए विनिर्दिष्ट सीमा की अवधि की गणना करने में, जिसके लिए इस भाग के तहत अधिस्थगन का आदेश दिया गया है, उस अवधि को, जिसके दौरान ऐसी अधिस्थगन लागू है, बाहर रखा जाएगा।

इसके अलावा खंड 6091) में प्रावधान है कि व्यक्तिगत गारंटरों सहित निगमित व्यक्तियों के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण होगा।चूँकि खंड 79 (14) (ई) खंड 60 (1) के विपरीत है, इसलिए परिणामी संशोधन के रूप में खंड 79 (14) (ई) को हटाया जा सकता है।”

13. प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता इस बात पर विवाद नहीं करते हैं कि स्थगन किसी भी तरह से कॉर्पोरेट देनदार द्वारा शुरू की जा रही कार्यवाही के रास्ते में खड़ा है।इस मामले के तथ्यों में, 1996 के अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत एक आवेदन होने के कारण, इस तरह के आवेदन को स्थगन की अवधि के दौरान बनाए रखा जा सकता था।इसे बनाए रखा जा सकता था जैसा कि हम पहले ही समाधान पेशेवर द्वारा नोट कर चुके हैं लेकिन यह धारा 60 (6) के तहत बहिष्करण के लाभ को कम नहीं करता है।

जी.

14. इसलिए, उनके अनुसार, यह स्पष्ट है कि प्रावधान, यहां तक कि मूल रूप से, कॉर्पोरेट देनदारों द्वारा कार्यवाही के लिए समय के अपवर्जन का प्रावधान करता था, जबकि देनदार के खिलाफ समय का अपवर्जन बाद में किया गया था।

एच.

जोड़ते हैं।कानून हमेशा यह था कि धारा 60 (6) के तहत बहिष्करण पर विचार कॉर्पोरेट देनदारों के पक्ष में किया गया था।

15. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निम्नलिखित वाक्य के प्रभाव पर जोर देने का प्रयास कियाः

> "…….....यह स्पष्ट नहीं है क्योंकि इस तरह का बहिष्कार लेनदारों द्वारा कंपनी के खिलाफ मुकदमों के संबंध में भी लागू होता है जो अधिस्थगन प्रावधानों के तहत रोक के अधीन भी हैं।"

अपीलार्थी यह भी तर्क देगा कि मध्यस्थता के चल रहे तथ्य का खुलासा इस न्यायालय को किया गया था।

विश्लेषण

16. आई. बी. सी. की धारा 14 इस प्रकार हैः"14. (1) उप-धारा (2) और (3) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, दिवाला शुरू होने की तारीख को, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण आदेश द्वारा निम्नलिखित सभी को प्रतिबंधित करने के लिए स्थगन की घोषणा करेगा, अर्थात्ः—

(क) निगमित ऋणी के विरुद्ध किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण, मध्यस्थता पैनल या अन्य प्राधिकरण में किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के निष्पादन सहित लंबित मुकदमों या कार्यवाही की स्थापना या निरंतरता;

(बी) निगमित ऋण या उसकी किसी भी संपत्ति या उसमें किसी भी कानूनी अधिकार या लाभकारी ब्याज द्वारा हस्तांतरण, बोझ, अलगाव या निपटान;

(ग) प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत किसी भी कार्रवाई सहित अपनी संपत्ति के संबंध में कॉर्पोरेट देनदार द्वारा बनाए गए किसी भी प्रतिभूति हित को पूर्ववत करने, पुनर्प्राप्त करने या लागू करने के लिए कोई कार्रवाई;

(घ) किसी स्वामी या पट्टेदार द्वारा किसी संपत्ति की वसूली जहां ऐसी संपत्ति पर निगमित ऋणी का कब्जा है या उसके कब्जे में है।

जी.

(2) निगमित देनदार को आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है, अधिस्थगन अवधि के दौरान समाप्त या निलंबित या बाधित नहीं की जाएगी।

एच.

(3) उप-धारा (1) के प्रावधान ऐसे लेनदेन पर लागू नहीं होंगे जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा किसी भी वित्तीय क्षेत्र के नियामक के परामर्श से अधिसूचित किया जा सकता है।

(4) स्थगन का आदेश इस तरह के आदेश की तारीख से कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के पूरा होने तक प्रभावी रहेगाः

बशर्ते कि जहां निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि के दौरान किसी भी समय, यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण धारा 31 की उप-धारा (1) के तहत समाधान योजना को मंजूरी देता है या धारा 33 के तहत निगमित देनदार के परिसमापन के लिए कोई आदेश पारित करता है, तो ऐसी मंजूरी या परिसमापन आदेश की तारीख से स्थगन प्रभाव समाप्त हो जाएगा, जैसा भी मामला हो।

17. आई. बी. सी. की धारा 60 (6) पर आगे ध्यान दिया जाना चाहिएः“60……..... ..... (6) सीमा अधिनियम, 1963 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी निगमित ऋणी द्वारा या उसके विरुद्ध किसी वाद या आवेदन के लिए विनिर्दिष्ट सीमा की अवधि की गणना करने में, जिसके लिए इस भाग के तहत अधिस्थगन का आदेश दिया गया है, उस अवधि को बाहर रखा जाएगा जिसके दौरान ऐसी अधिस्थगन लागू है।”

18. सबसे पहले, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि न्यायालय किसी निकाय की रिपोर्ट की व्याख्या में शामिल नहीं होंगे और जब अधिनियम के रूप में बेहतर सामग्री व्याख्या के लिए उपलब्ध होगी।

19. विधियों की व्याख्या के सिद्धांतों को अलग-अलग संदर्भों में लागू किया गया है और इन्हें मामले के तथ्यों, कानून की प्रकृति और कई सिद्धांतों के आधार पर लागू किया जाना है।निस्संदेह, व्याख्या का सुनहरा नियम वह व्याख्या है जो शब्दों के सामान्य अर्थ पर पनपती है जैसा कि उनका उपयोग किया जाता है।विधियों की शाब्दिक व्याख्या का यह सिद्धांत समय के साथ वास्तव में एक ऐसी व्याख्या के रूप में सामने आया है जो उद्देश्यपूर्ण है या जो कानून देने वाले के उद्देश्यों को समायोजित करने का प्रयास करता है।यह कहने के लिए पर्याप्त है कि यदि किसी क़ानून के शब्द अस्पष्ट नहीं हैं, तो व्याख्या का दायरा कम हो जाता है।इसके लिए नहीं है

एच.

एक क़ानून को फिर से लिखने के लिए न्यायालय।ऐसे अवसर भी हो सकते हैं जब न्यायालय विधायिका के इरादे को प्रभावी बनाने और प्रभावी बनाने के माध्यम से कानून को पूरा अर्थ देने के लिए किसी शब्द को छोड़ने या कुछ हिस्से को प्रभावी नहीं करने की हद तक जा सकता है।यह सिद्धांत कि शाब्दिक अर्थ को स्वीकार किया जाना चाहिए, निस्संदेह इस सिद्धांत के अधीन है कि यह तब रास्ता बनाएगा जब इस तरह की व्याख्या एक बेतुकी या गंभीर अन्याय की ओर ले जाएगी जिस पर एक कानून निर्माता विचार नहीं कर सकता था।20. प्रस्तुतियों के संदर्भ में क़ानून की व्याख्या के सिद्धांतों का उल्लेख करना आवश्यक है, जो प्रस्तुत किए गए हैं।(1976) 3 अखिल इंग्लैंड विधि रिपोर्ट 611 में, ग्लेसडेल के लॉर्ड साइमन ने सुथेंद्रन बनाम आप्रवासन अपील न्यायाधिकरण के मामले में व्याख्या के सुनहरे नियम की व्याख्या की है, जो व्याकरणिक अर्थ के संदर्भ में एक क़ानून के शब्दों को उनके प्राकृतिक और सामान्य अर्थों में समझने के समान है और इसे इस न्यायालय द्वारा हर्भजन सिंह बनाम भारतीय प्रेस परिषद और अन्य 2:“9. …

> ‘संसद के एक अधिनियम में जो कहा गया है, उसके लिए संसद को प्रथम दृष्टया श्रेय दिया जाता है।कानून के शासन के तहत रहने की उम्मीद रखने वाले लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण कानूनों का मसौदा तैयार करना तब तक संतोषजनक नहीं होगा जब तक कि अदालतें निर्माण के "सुनहरे नियम" को लागू करने के लिए जब भी संभव हो, अर्थात् वैधानिक भाषा को व्याकरणिक और शब्दावली रूप से, सामान्य और प्राथमिक अर्थों में पढ़ने की मांग न करें।बेशक, संसद को अच्छी समझ का श्रेय दिया जाना चाहिए; ताकि जब इस तरह का दृष्टिकोण अन्याय, बेतुका, विरोधाभास या वैधानिक उद्देश्य का अपमान पैदा करे तो भाषा को इस तरह के नुकसान से बचने के लिए पर्याप्त रूप से संशोधित किया जा सके, हालांकि आगे नहीं।”
> _____
> _____
> _____
> _____

21. इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक अन्य सिद्धांत, जिसने इस संबंध में न्यायालय की मंजूरी के लिए उचित रूप से प्रतिस्पर्धा की है, वह यह है कि एक व्याख्या जो कानून के उद्देश्य और उद्देश्य को आगे बढ़ाती है, उसे न्यायालय के साथ सबसे अधिक तोलना चाहिए।इस संबंध में, हम न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा द्वारा न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड में व्यक्त किए गए निम्नलिखित विचार को देख सकते हैं।नुस्ली नेविल वाडिया और अन्य 3: जी.

_____

2 (2002) 3 एससीसी 722 3 (2008) 3 एससीसी 279 ए

एच.

"51. … अधिनियम के प्रावधानों को उचित और प्रभावी तरीके से पढ़ने के लिए, हमारी राय है कि शाब्दिक व्याख्या, यदि दी जाती है, तो एक विसंगति या बेतुकी बात को जन्म दे सकती है जिससे बचा जाना चाहिए।ताकि एक उच्च न्यायालय को एक उचित तरीके से एक क़ानून की व्याख्या करने में सक्षम बनाया जा सके, न्यायालय को खुद को एक उचित विधायक/लेखक की अध्यक्षता में रखना चाहिए।इस प्रकार, उद्देश्यपूर्ण निर्माण के नियमों का सहारा लेना होगा जिसके लिए अधिनियम के निर्माण की आवश्यकता होगी ताकि यह देखा जा सके कि अधिनियम का उद्देश्य पूरा हो जाए, जो बदले में वैधानिक योजना के तहत लाभार्थी को अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा जैसा कि अदालत ने अशोक मार्केटिंग लिमिटेड में अन्य बातों के साथ माना था। [(1990) 4 एस. सी. सी. 406]

52. बराक "उद्देश्यपूर्ण निर्माण" पर अपने विस्तृत कार्य में "उद्देश्य" शब्द के विभिन्न अर्थों की व्याख्या करते हैं। बराक के शब्दों में उद्देश्यपूर्ण निर्माण का उल्लेख करना चर्चा की योग्यता में होगाः

"हार्ट और सैक्स भी 'उद्देश्य' को एक व्यक्तिपरक अवधारणा के रूप में मानते हैं।मैं कहता हूं 'प्रकट' क्योंकि, हालांकि हार्ट और सैक्स का दावा है कि दुभाषिया को खुद को विधायक के जूते में कल्पना करनी चाहिए, वे वस्तुनिष्ठता के दो तत्वों का परिचय देते हैंःपहला, दुभाषिया को यह मान लेना चाहिए कि विधायिका उचित तरीके से उचित लक्ष्यों को प्राप्त करने के इच्छुक उचित लोगों से बनी है और दूसरा, दुभाषिया को इस गैर-प्रत्याख्यान योग्य धारणा को स्वीकार करना चाहिए कि विधायी निकाय के सदस्य अपने संवैधानिक कर्तव्यों को सद्भावना से पूरा करना चाहते हैं। यह सूत्रीकरण दुभाषिया को लेखक के व्यक्तिपरक इरादे के बारे में पूछताछ करने की अनुमति नहीं देता है, बल्कि लेखक के इरादे के बारे में पूछताछ करने की अनुमति देता है, अगर उसने उचित रूप से काम किया होता।"

(अहरोन बराक, कानून में सकारात्मक व्याख्या, (2007) पी।87.)"

22. न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह के सांविधिक व्याख्या के सिद्धांत 14वें संस्करण, पृष्ठ 145 में हेडन के नियम के अनुप्रयोग पर विचार करते हुए, हम निम्नलिखित कथन पाते हैंः

"यह भी कहा गया है कि हेडन के मामले में नियम के अनुप्रयोग को चरम पर नहीं ले जाया जाना चाहिए; कि यदि वहाँ

कानून के अधिनियमन से पहले कई समस्याएं थीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनमें से कुछ को हल करने के प्रयास में संसद सभी को हल करने का इरादा रखती है और नियम के प्रति निष्ठा के लिए ऐसे निर्माण को अपनाने की आवश्यकता नहीं है जो स्पष्ट रूप से बेतुके परिणामों की ओर ले जाए।एंडर्टन बनाम रयान [(1985) 2 ऑल ई. आर. 355] में लॉर्ड रॉस्किल द्वारा बताए गए ये प्रस्ताव असाधारण हैं, लेकिन उनके दुरुपयोग से क़ानून के उद्देश्य को हराने के लिए एक संकीर्ण निर्माण हो सकता है जैसा कि वास्तव में उस मामले में हुआ था जिसे आर. वी. शिवपुरी [(1986) 2 ऑल ई. आर. 334] में एक वर्ष के भीतर खारिज कर दिया गया था।इसके अलावा, यदि संदर्भ में अपने प्राथमिक या सामान्य अर्थ में सांविधिक भाषा का व्यापक प्रभाव है, तो इसे कृत्रिम रूप से एकल पहचानी गई शरारत को दूर करने तक सीमित नहीं रखा जा सकता है, जिसके बारे में माना जाता है कि एक बार संसदीय मसौदा तैयार करने वाले के ध्यान में शरारत आने के बाद सांविधिक प्रावधान हुआ है, वह विचार करता कि क्या किसी भी संगत शरारत से आवश्यक परिणाम के रूप में निपटा जाना चाहिए।"

---

23. इस न्यायालय ने तीरथ सिंह बनाम बचित्तर सिंह और अन्य 4 मामले में मैक्सवेल की प्रतिमाओं की व्याख्या के 10वें संस्करण पृष्ठ 229 में निम्नलिखित कथन को मंजूरी दी।

"जहां किसी कानून की भाषा, अपने सामान्य अर्थ और व्याकरणिक निर्माण में, अधिनियम के स्पष्ट उद्देश्य के स्पष्ट विरोधाभास की ओर ले जाती है, या कुछ असुविधा या बेतुकेपन, कठिनाई या अन्याय की ओर ले जाती है, जिसका संभवतः कोई इरादा नहीं है, तो उस पर एक निर्माण किया जा सकता है जो शब्दों के अर्थ और यहां तक कि वाक्य की संरचना को भी संशोधित करता है।"

24. आई. बी. सी. के तहत, आवेदन को स्वीकार करने के आदेश के आधार पर, चाहे वह धारा 7,9 या 10 के तहत हो, और स्थगन लागू करने के लिए, धारा 14 में विचार की गई कार्यवाहियों को वर्जित किया जाएगा।इसमें निस्संदेह निगमित देनदार द्वारा 1996 के अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत आवेदन या उस मामले के लिए निगमित देनदार द्वारा किसी अन्य पक्ष के खिलाफ कोई अन्य कार्यवाही शामिल नहीं है।कम से कम निगमित देनदार के हाथों ऐसी किसी भी कार्यवाही पर विचार करने
जी. के लिए न्यायालय या अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र का कोई स्पष्ट बहिष्कार नहीं है।लेकिन हमें अन्य प्रावधानों से भी अनजान नहीं रहना चाहिए।धारा 17 के तहत,

---

एच. 4 आकाशवाणी 1955 एससी 830 ए

निगमित देनदार के मामलों का प्रबंधन अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा लिया जाता है।निदेशक मंडल या निगमित देनदार के भागीदारों की शक्तियां निलंबित हो जाएंगी और इसका प्रयोग अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा किया जाएगा।जब प्राधिकरण अंतरिम समाधान पेशेवर से समाधान पेशेवर में हाथ बदलता है, तो पिछले प्रबंधन को बाहर रखा जाता है।लेनदारों की समिति अस्तित्व में आती है।लेनदारों की समिति की देखरेख में सभी मामलों को आगे बढ़ाया जाता है।समाधान योजनाएं समाधान पेशेवर द्वारा प्राप्त की जाती हैं और समाधान योजना जिसे अंततः लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है और अभी भी न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के हाथों में होती है, जिसके परिणामस्वरूप धारा 31 (3) के तहत अधिस्थगन पर पर्दा डाल दिया जाएगा।इस पूरी अवधि के दौरान, जो उल्लेखनीय है वह यह है कि कानून और रूप में, कॉर्पोरेट देनदार मौजूद है और अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है और उसके बाद समाधान पेशेवर, कॉर्पोरेट देनदार का पूर्व प्रबंधन विस्थापित हो जाता है।जब समाधान योजना को मंजूरी दी जाती है, तो एक नया प्रबंधन कार्यभार संभालता है।सी. आई. आर. पी. के सफल होने पर इन सब पर विचार किया जाता है।निस्संदेह, यदि यह असफल रहता है, तो निगमित देनदार परिसमापन में चला जाता है।इसलिए, एक ओर, धारा 7,9 या 10 के तहत एक आवेदन एक ऐसी अवधि लाता है जिसका उद्देश्य प्रत्यर्थी के शब्दों में, यदि संभव हो तो एक कॉर्पोरेट देनदार को जीवन में वापस लाना है, 'शांति की अवधि'।लेकिन यह एक ऐसी अवधि है जिसके दौरान कॉर्पोरेट देनदार का प्रबंधन विस्थापित हो जाता है, विडंबना यह है कि यह उथल-पुथल की अवधि है।हालांकि यह सच हो सकता है कि समाधान पेशेवर के माध्यम से कॉर्पोरेट देनदार द्वारा कार्यवाही पर विचार किया जाता है, लेकिन यह विचार करना असंभव नहीं है कि समाधान पेशेवर किसी भी कारण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है और सभी मामलों में कार्यवाही का संचालन करता है जैसा कि उसे करना चाहिए।हम इस पर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि यह धारा 60 (6) के तहत कॉर्पोरेट देनदार के कहने पर मुकदमों या आवेदनों के संबंध में सीमा की अवधि को छोड़कर कानून देने वाले के लिए तर्क हो सकता है।

25. जहाँ तक धारा 60 (6) के अर्थ को समझने का संबंध है, इसमें जरा भी संदेह नहीं हो सकता है कि कॉर्पोरेट देनदार द्वारा लाए गए मुकदमे या आवेदन के मामले में भी अधिस्थगन की अवधि को बाहर रखा गया है।, स्थगन की अवधि के संबंध में।यह सच है कि एक ओर धारा 14 में जो वर्जित है जब एक अधिस्थगन लागू किया जाता है, वह अन्य बातों के साथ-साथ कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ मुकदमों की स्थापना या लंबित मुकदमों या कार्यवाही को जारी रखना है।

जी.

एच.

अन्य बातों के साथ-साथ मध्यस्थता पैनल की डिक्री या आदेश का निष्पादन।इसलिए, यह प्रावधान वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम 2002 के प्रवर्तन के तहत किसी भी कार्रवाई सहित अपनी संपत्ति के संबंध में कॉर्पोरेट देनदार द्वारा बनाए गए किसी भी प्रतिभूति हित को पूर्ववत करने, पुनर्प्राप्त करने या लागू करने के लिए किसी भी कार्रवाई को प्रतिबंधित करता है।इसके अलावा, कॉर्पोरेट देनदार के कब्जे में किसी मालिक या पट्टेदार द्वारा किसी भी संपत्ति की वसूली निषिद्ध है।ये प्रावधान किसी भी तरह से निगमित ऋणी के रास्ते में खड़े नहीं होते हैं जो दूसरों के खिलाफ मुकदमा या कार्यवाही शुरू करता है या आगे बढ़ता है।दूसरी ओर धारा 60 (6) उस अवधि को बाहर करती है जिसके दौरान सीमा की अवधि की गणना में धारा 14 के तहत अधिस्थगन लागू है।एक अस्पष्टता पेश की जाती है, अर्थात् कॉर्पोरेट देनदार के कहने पर किसी मुकदमे या आवेदन के लिए सीमा की अवधि को बाहर करने की आवश्यकता, जब धारा 14 के तहत एक आदेश द्वारा शुरू किया गया अधिस्थगन कॉर्पोरेट देनदार के कहने पर किसी मुकदमे या आवेदन के खिलाफ कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता है।जिन शब्दों के लिए इस भाग के तहत अधिस्थगन का आदेश दिया गया है, उनका उद्देश्य सीमा की अवधि की गणना करने के उद्देश्य से समय के अपवर्जन के लिए संदर्भ बिंदु या आधार होना है।संदर्भ बिंदु होने और धारा 60 (6) को लागू करने के लिए अनिवार्य होने के अलावा, यह उस समय की अवधि को भी निर्दिष्ट करता है जिसे सीमा की अवधि की गणना में बाहर रखा जाएगा।दूसरे शब्दों में, धारा 14 के तहत अधिस्थगन का आदेश प्रस्तुत करें, अधिस्थगन की पूरी अवधि को किसी मुकदमे या किसी निगमित देनदार द्वारा आवेदन में भी सीमा की अवधि की गणना करने में बाहर रखा जा सकता है।

जी.

26. समाधान योजना के अनुमोदन के आधार पर अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क और आई. बी. सी. की धारा 31 का प्रभाव हमें आकर्षित नहीं करता है।अधिनियम की धारा 31, आई. बी. सी. निस्संदेह जो घोषणा करती है वह यह है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन पर योजना एक निगमित देनदार, उसके कर्मचारियों, सदस्यों, लेनदारों, केंद्र सरकार, किसी भी राज्य सरकार या उसमें प्रदान किए गए किसी भी स्थानीय प्राधिकरण, गारंटर और समाधान योजना में शामिल अन्य हितधारकों पर बाध्यकारी हो जाती है।हम यह समझने में असमर्थ हैं कि अपीलार्थी उक्त प्रावधान से समर्थन कैसे प्राप्त कर सकता है।वास्तव में, आई. बी. सी. धारा 60 (6) की योजना लेना योजना का एक अभिन्न अंग बन जाएगा जो समाधान आवेदक के लाभ को सुनिश्चित करेगा जो उस अवधि को छोड़कर अपनी वैध शिकायतों को उजागर करने के लिए उपयुक्त उपाय करने में सक्षम है जिसके दौरान सीमा की अवधि की गणना करने के उद्देश्य से एक अधिस्थगन लागू किया गया था।

एच.

27. दूसरे शब्दों में, सीमा अधिनियम के तहत सीमा की अवधि के बावजूद, कानून दाता ने यह प्रावधान करना उचित समझा है कि एक कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में यदि भाग II में स्थगन का आदेश दिया गया है, तो जिस अवधि के दौरान ऐसी स्थगन अवधि थी, उसे बाहर रखा जाएगा।'जिसके लिए अधिस्थगन का आदेश उस व्याख्या को सहन नहीं कर सकता है जिसे अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत करने की मांग की गई है।अपीलार्थी द्वारा दी गई व्याख्या स्पष्ट रूप से उपयोग किए गए शब्दों के स्पष्ट अर्थ के खिलाफ है। हम पहले ही संहिता के उद्देश्य और उस संदर्भ को समझने का कार्य शुरू कर चुके हैं जिसमें धारा 60 (6) को लागू किया गया है। यह न्यायालय संभवतः विधि दाता के विवेक पर निर्णय नहीं दे सकता है।सीमा की अवधि सीमा अधिनियम के तहत प्रदान की गई है। कानून प्रदाता ने विचार किया है कि जब एक स्थगन लागू किया गया है, तो उक्त अवधि को बाहर रखा जाना चाहिए।हम 'कोई भी मुकदमा या आवेदन' शब्दों के प्रयोग को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते।इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह 'एक कॉर्पोरेट देनदार द्वारा' शब्दों से अलग है।जिस तरह से अपीलार्थी क़ानून की व्याख्या करना चाहता है, उसके परिणामस्वरूप हम निगमित ऋणी को सीमा की अवधि बढ़ाने के लाभ से इनकार कर देंगे, जिसके परिणामस्वरूप, हम सोचते हैं कि क़ानून में उपयोग किए गए स्पष्ट शब्दों से इसकी पुष्टि नहीं होगी।

28. इसलिए, हमारा विचार है कि आई. बी. सी. की धारा 60 (6) उस पूरी अवधि को हटाने पर विचार करती है जिसके दौरान निगमित देनदार के संबंध में निगमित देनदार के हाथों विचार की गई कार्यवाही के संबंध में स्थगन लागू था।29. हमारे द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के आलोक में, हम इस प्रश्न में जाना अनावश्यक समझते हैं कि क्या मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अपीलार्थी द्वारा दी गई सहमति को देखते हुए, अपीलार्थी को सीमा याचिका उठाने से वंचित किया जाना चाहिए।याचिका खारिज हो जाएगी।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अंकित ज्ञान और अमरेंद्र कुमार
(सहायकः अजय, एलसीआरए)

याचिका खारिज कर दी गई।

जी.

एच.